

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

कमांक:एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंप्रअ./स्था.पद./2019/

3188

जयपुर,दिनांक:

29/09/19

:: आदेश ::

निम्नलिखित पंचायत प्रसार अधिकारियो को उनके नाम के सम्मुख स्थान पर तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित/ पदस्थापित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक सर्वश्री	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को	विशेष विवरण
1.	कानसिंह भाटी	पंचायत प्रसार अधिकारी	पं.स. बालोतरा से पं.स. शेरगढ जिला जोधपुर स्थानान्तरणाधीन	यथावत पं.स. बालोतरा, जिला बाडमेर	
2.	हरिनारायण शर्मा-द्वितीय	पंचायत प्रसार अधिकारी	पं.स.जमवारागढ, जिला जयपुर	पं.स. तिजारा (अलवर)	
3.	हरिनारायण शर्मा-प्रथम	पंचायत प्रसार अधिकारी	पं.स.जमवारागढ, (जयपुर) से पं.स. रैणी (अलवर) स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर यथावत पं.स.जमवारागढ (जयपुर)	
4.	तुलसी राम सैनी	पंचायत प्रसार अधिकारी	पं.स.पावटा (जयपुर)	पं.स.पाटन (सीकर)	श्री ओम प्रकाश मीणा के स्थान पर
5.	ओम प्रकाश मीणा	पंचायत प्रसार अधिकारी	पं.स.पाटन (सीकर)	जिला परिषद चुरु	
6.	नाहर सिंह	पंचायत प्रसार अधिकारी	पं.स. चाकसू से जि.पं.टोंक स्थानान्तरणाधीन	पं.स. सांगानेर, जिला जयपुर	
7.	नथू राम मीणा	पंचायत प्रसार अधिकारी	जिला परिषद सीकर से जिला परिषद चुरु स्थानान्तरणाधीन	जिला परिषद सीकर	
8.	अमरसिंह यादव	पंचायत प्रसार अधिकारी	पं.स.नीमराना, जिला अलवर	पं.स.राजगढ, जिला अलवर	
9.	आशाराम महावर	पंचायत प्रसार अधिकारी	पं.स. लवाण (दौसा) से पं.स. डीग (भरतपुर) स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर पं.स. लवाण (दौसा)	
10.	गजेन्द्र सिंह बारहठ	पंचायत प्रसार अधिकारी	पं.स.मण्डोर से खमनोर स्थानान्तरणाधीन	पं.स.मण्डोर, जिला जोधपुर	

उक्त कार्मिक तत्काल कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा इसे राज्यादेशो की अवहेलना मानी जाकर नियमानुसार कार्यवाही

अमल में लाई जावेगी। जिन कार्मिको का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से किया गया है उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

उप सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त संबंधित।
5. जिला कलेक्टर संबंधित।
6. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित।
8. संबंधित सहायक सचिवो को पालनार्थ।
9. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
10. आदेश पत्रावली

उप सचिव एवं उपायुक्त